



**NEERAJ®**

# M.G.P.E. -7

## गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन

( Non-Violent Movement after Gandhi )

Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers

*Based on*

# I.G.N.O.U.

**& Various Central, State & Other Open Universities**

*By: Dr. Narad Rai*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com) Website : [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 280/-**

Published by:



## NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com) Website : [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

© Copyright Reserved with the Publishers only.

**Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only**

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

*Disclaimer/T&C*

1. For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.
3. These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.
4. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
5. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
6. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
7. The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
8. All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.
9. All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.

### **Get books by Post & Pay Cash on Delivery :**

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com) where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com) You may also avail the “Special Discount Schemes” being offered at our Official website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com).

No need to pay in advance as you may pay “Cash on Delivery” (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

## Content

# गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन ( Non-Violent Movement After Gandhi )

### *Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)*

Question Paper—June-2023 (Solved) .....	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) .....	1-2
Question Paper—December, 2019 (Solved) .....	1
Question Paper—June, 2019 (Solved) .....	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) .....	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) .....	1
Question Paper—December, 2017 (Solved) .....	1
Question Paper—June, 2017 (Solved) .....	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	गांधी के बाद का परिदृश्य ..... ( Post-Gandhian Scenario )	1
2.	नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा ..... ( Leadership and Organisational Pattern )	11
3.	गतिशीलता, कार्यनीतियां और परिणाम ..... ( Dynamics, Strategies and Outcomes )	18
4.	सामाजिक और पारिस्थितिकीय मुद्दे ..... ( Social and Ecological Issues )	28
5.	भूदान आन्दोलन ..... ( Bhoodan Movement )	38
6.	सम्पूर्ण क्रान्ति ..... ( Total Revolution )	47

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
7.	मद्यनिषेध (नशाबन्दी) आन्दोलन ..... ( Alcohol Prohibition Movements )	55
8.	किसान आन्दोलन ..... ( Farmers' Movement )	64
9.	चिपको आन्दोलन ..... ( Chipko Movement )	75
10.	नर्मदा बचाओ आन्दोलन/टिहरी बाँध ..... ( Narmada Bachao Andolan/Tehri Dam )	83
11.	साइलेंट वैली ..... ( Silent Valley )	92
12.	जल संरक्षण आन्दोलन ..... ( Water Conservation Movement )	98
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आन्दोलन ..... ( Civil Rights Movements in the United States )	107
14.	यूरोप में ग्रीनपीस आन्दोलन ..... ( Greenpeace Movements in Europe )	116
15.	दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन ..... ( Anti-apartheid Movement in South Africa )	123
16.	पोलैंड में सॉलिडेरिटी आन्दोलन ..... ( Solidarity Movement in Poland )	134



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन  
(Non-Violent Movements After Gandhi)

M.G.P.E.-7

समय : 2 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के समान अंक है।

## भाग-I

प्रश्न 1. भारत में लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये कितने सफल साबित हुए हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-8, प्रश्न 4

प्रश्न 2. भारत के शांतिपूर्ण आंदोलन पर गांधीवादी विचार कितने प्रभावित रहे हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, प्रश्न 1 तथा पृष्ठ-17, प्रश्न 3

प्रश्न 3. आज प्रदूषण का संकट कितना गंभीर हो चुका है? इसके कितने रूप हैं और इससे क्या नुकसान हो रहा है?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-35, प्रश्न 3

प्रश्न 4. “भूदान आंदोलन अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हुआ।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-45, प्रश्न 2

प्रश्न 5. गांधी शराब पीने के खिलाफ क्यों थे? उनके पक्ष में पाँच कारण बताइए।

उत्तर-गाँधी और कुमारप्पा-भारत में महात्मा गाँधी और कुमारप्पा मद्यनिषेध के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से मद्यनिषेध की आवश्यकता और हानियों को भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में निर्दिष्ट किया।

मद्यनिषेध पर गाँधी-गाँधीवादी विचारधारा में मद्यनिषेध को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गाँधी मदिरापान को रोग, चोरी और वेश्यावृत्ति से भी अधिक भयंकर मानते थे। अनेक साम्राज्यों जैसे रोमन राज्यों का पतन उनके शासकों में शराब की लत के कारण हुआ। उनका पुत्र बड़ा बुद्धिमान, बलवान, देशभक्त और त्यागी होने के बावजूद व्यसनी बन गया। वस्तुतः शराब व्यक्ति के नैतिक बल को नष्ट कर देती है। उसका घर अव्यवस्थित हो जाता है और पत्नी को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मदिरा की बुराई हुए बताते गाँधीजी का कहना था कि यह शैतान है और पीने वाले की धन-सम्पत्ति को नष्ट कर देता है। चेतन अवस्था में शराबी स्वयं लज्जा का अनुभव करते हैं। गाँधी ने देश-विदेश और भारत के

शराबियों की दुर्दशा का उल्लेख किया है। गाँधी नशाखोरों से सम्बन्धित घटनाओं से बड़े दुखी होकर शराब के घोर विरोधी हो गये थे। संक्षेप में, मदिरा व्यक्ति को शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से नष्ट कर देती है।

भारत कुमारप्पा मद्यनिषेध के मामले में गाँधीवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक और व्याख्याता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘हवाई प्रोहिबिशन’ (Why Prohibition) में इस संबंध में अनेक निबन्ध लिखे हैं।

कुमारप्पा लोगों के सामने मद्यनिषेध के लिए प्रभावकारी तर्क देते हैं। मादक पेय को लेने वालों के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तुतः मद्यनिषेध गरीबों के हित में सोचा गया मामला है। गरीब अपनी अर्जित आय से अपने परिवार का पालन करने में अक्षम होता है। यदि वह व्यसनी हो जाए, तो परिवार को दुर्दशा का शिकार होना पड़ता है। मद्यपान समाज विरोधी आदत है। इसलिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। नारकोटिक या अल्कोहल लेना पश्चिमी देशों का रीति-रिवाज है अतः कानून द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ उसे काबू में किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के दोनों प्रमुख धर्म हिन्दू और इस्लाम धर्म में मद्यपान निषिद्ध है।

## गाँधी के विचारों से कुमारप्पा के विचारों की तुलना

1. कुमारप्पा मद्यनिषेध पर गाँधीवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक और प्रवक्ता थे। स्पष्ट है कि गाँधीजी ने मद्यनिषेध के संबंध जो कुछ भी कहा है, उससे कुमारप्पा पूर्णतः सहमत थे।

2. दोनों का विचार है कि मद्यपान एक आर्थिक समस्या है। दोनों का कहना है कि मद्यपान करने वाले और उसके परिवार की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। प्रायः कई परिवार शराबी के व्यसन के कारण बेसहारा हो जाते हैं।

3. गाँधी और कुमारप्पा दोनों मद्य कराने को अनुचित तथा अन्यायपूर्ण मानते हैं। कुमारप्पा के अनुसार मद्य कराने के द्वारा उन ठेकेदारों की सहायता की जाती है, जो शराब लाइसेंस की बोली लगाते हैं। वे लाभ प्राप्त करने के लिए और शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए गलत प्रोत्साहन देते हैं।

4. गाँधी शराब से प्राप्त राजस्व को निष्कृष्टतम कृत्य मानते थे। इसी प्रकार कुमारप्पा इसका की आलोचना करते हुए कहा कि यह गरीबों का शोषण है, क्योंकि इस प्रकार का पर्याप्त राजस्व गरीबों से एकत्र किया जाता है। उनके अनुसार मद्यनिषेध को राजस्व प्राप्त करने के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार अन्य प्रकार के करों से भी पर्याप्त राजस्व प्राप्त कर सकती है। इसलिए इस राजस्व को लेना चाहिए।

5. कुमारप्पा ने आंकड़े देकर प्रमाणित किया है कि उत्पादन क्षमता में सुधार के अलावा बचत, निवेश, खपत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचिकाओं में मद्यनिषेध की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि देखी गयी है। वह बताते हैं कि प्रवर्तन की लागत और शराब राजस्व की क्षति अनेक कार्यों में उपभोक्ता के लिये लाभप्रद दिखाई देता है। गाँधी ने भी अपने विचारों में इन बातों को प्रकट किया है।

6. गाँधी के समान कुमारप्पा भी मानते हैं कि मद्यनिषेध के नियमों के पालन में जनता का सहयोग अति आवश्यक है—“मद्यनिषेध तब तक अपालित नियम रहेगा, जब तक लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं।” इस प्रकार केवल कानून बनाने से मद्यपान की बुराई समाप्त नहीं हो सकती।

#### खण्ड-II

प्रश्न 6. क्या चिपको आंदोलन गांधीवादी दर्शन पर ही आधारित था? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-79, प्रश्न 2

प्रश्न 7. केरल के प्लाचीमादा जल आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-12, पृष्ठ-104, प्रश्न 3

प्रश्न 8. 1960 के दशक में अमेरिका में चला अश्वेत अधिकार आंदोलन कितना प्रभावी साबित हुआ?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-111, प्रश्न 2

प्रश्न 9. सोलिडरिटी आंदोलन (Solidarity Movement) ने पोलैंड में क्या बदलाव किए?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-16, पृष्ठ-138, प्रश्न 3

प्रश्न 10. भारत में चलाए गए पांच गांधी से प्रेरित आंदोलनों के नाम बताइए एवं उनका संक्षिप्त परिचय भी दीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-68, प्रश्न 2 तथा, अध्याय-7, पृष्ठ-60, प्रश्न 2

■ ■

# NEERAJ

# PUBLICATIONS

# www.neerajbooks.com

# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)



# गांधी पश्चात अहिंसक आन्दोलन

(NON-VIOLENT MOVEMENT AFTER GANDHI)

## गांधी के बाद का परिदृश्य ( Post-Gandhian Scenario )



### परिचय

महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। सम्पूर्ण देश पर उनकी अहिंसा की नीति की छाप थी। ऐसी स्थिति में उनके बाद के परिदृश्य का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी के बाद का भारत उनकी विचारधारा से थोड़ा अलग हटकर था। गांधी जी का भारत गाँवों का था, जिसमें लोगों की आवश्यकतायें कम थी, स्वावलम्बन था और समुदाय प्रजातंत्र पर आधारित थे। आजादी के पश्चात पं. जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 'योजना के साथ वायदा' की घोषणा की। ये योजनायें बहुउद्देशीय योजनायें थीं, जिनसे भारत के अनेक क्षेत्रों में विकास सम्भव था। इसके द्वारा भारत में औद्योगिक सभ्यता का विकास करना था। गांधीजी ऐसी सभ्यता के विरुद्ध थे, क्योंकि वे तो भारत के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाना चाहते थे। परन्तु ब्रिटिश शासन के चलते वे ऐसा करने में पूर्णतः सफल नहीं हुए।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास की जो रूप-रचना तैयार की थी, वह समस्याओं से परिपूर्ण थी और इनको शीघ्र-शीघ्र हल करना जरूरी था। ये समस्याएँ नृजातीय और सामाजिक विभाजन, अत्यधिक आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय मतभेद और असंतुलन, अनेक प्रकार की भाषाओं और बड़ी संख्या में देशी रियासतों का होना था। नेहरू जी इन सभी समस्याओं के विषय में गंभीरता से विचार किया। इन समस्याओं के कारण ही भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। लोगों में क्षेत्रवाद की भावना बढ़ गयी थी और लोग अपनी बस्ती और राज्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते थे। ऐसे में भारत में राजनैतिक एकता स्थापित करना और एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। इसके साथ-साथ राजनीतिक प्रयोजन की एकता और संगठित रहकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

भारत बुरी तरह सामाजिक विखण्डन और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था, इसलिए राजनैतिक प्रणाली इसके अनुकूल होनी आवश्यक थी। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारत का निम्न जीवन स्तर, उच्च मृत्युदर, अशिक्षा, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था व कृषि की कम उर्वरता थी, जिसके कारण भारत एक लम्बे समय तक गरीब देश बना रहा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था। इस

प्रकार भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना एक बड़ा काम था। ऐसा करके ही नेहरू जी के सपनों को साकार किया जा सकता था और देश को विकास के मार्ग पर गति दी जा सकती थी। इसलिए भारत को पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक-रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परित्याग करके राजनीति को एक नवीन रूप में प्रकट करना था।

सामाजिक जीवन और संबंधों के लिए देश का पुनर्निर्माण करना होगा, जिसके अन्तर्गत विगत वर्षों की सामाजिक-आर्थिक संस्थागत व्यवस्थाओं को आपस में फिर से जोड़ना होगा। इसके साथ-साथ वर्तमान संतुलन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये आधुनिकता को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए नई विचारधाराओं और कार्य-पद्धतियों को अपनाकर अर्थव्यवस्था में क्रान्ति लानी होगी। प्रस्तुत अध्याय में भारत की राजनीति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की गयी है। उनकी उपलब्धियों, कमियों, संवेदनशीलता और समस्याओं का भी परीक्षण किया गया है। इतिहास में कार्य करने वाली राजनीतिक इकाई के रूप में उसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### राजनीतिक संरचना और उसका कार्यकरण (Working)

राजनीतिक संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य संविधान का निर्माण करना था, जो तीन वर्ष के गहन और कठोर परिश्रम के साथ विचार-विमर्श, चर्चा और उसका मसौदा तैयार करने के बाद पूरा हुआ और इसका कार्यान्वयन 26 जनवरी, 1950 को किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम लोगों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गयी है। राजनीतिक न्याय में नीति-निर्देशक तत्त्व थे। सामाजिक क्रान्ति लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व निश्चित करके घोषित कर्तव्यों में शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका उल्लंघन करने से रोकना, दोनों नीतियों को लागू करना सरकार का कर्तव्य था। संविधान संशोधन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन थी। अंतिम अपील उच्चतम

न्यायालय में करने पर जोर दिया गया। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों में हस्तक्षेप करने के अनेक अधिकार दिये गये। नई संस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया। इसमें योजना आयोग और वित्त आयोग दो महत्त्वपूर्ण आयोग थे। सरकार को राष्ट्रीय सेवाओं, कर वसूली और देश में विधि का शासन कायम रखने और आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

सरकार ने संघीय संरचना को मजबूत बनाने के लिए 1935 का सुधार अधिनियम लागू किया, जिसमें सरकार के अधीन स्तरों में कोई फेर-बदल नहीं की और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को महत्त्व दिया गया। इस संघीय ढांचे में भारतीय संविधान की शक्ति एवं अधिकारों का वियोजन तीन स्तरों और तीन सूचियों में किया गया है

1. *केन्द्रीय सूची* इसके अंतर्गत संघ सरकार के कार्य आते हैं।
2. *राज्य सूची* इसमें राज्य सरकार के अधिकार आते हैं।
3. *समवर्ती सूची* इसमें केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। उच्च सदन को राज्यसभा एवं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह उच्चतम विधायी संस्था है और इसके सदस्य सार्वजनिक राय और लोगों इच्छा व्यक्त करते हैं। इसके सदस्य या सांसद प्रत्येक पाँच वर्ष में चुने जाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में इनका चुनाव पहले भी हो सकता है। लोकसभा कानून बनाने वाली भारत की सबसे उच्च संस्था है और वित्त विधेयक के अलावा यह राज्यसभा के समान स्थिति रखती है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किये जाते हैं। चूँकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, इसलिए सत्तारूढ़ दल के कार्यो पर मतदान द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है।

भारतीय संविधान में कानून के शासन की व्यवस्था है। यह कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है, जिनका अनुसरण राजनीतिक समुदाय के लोग करते हैं। इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के तरीके का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसकी संरचना इस प्रकार तैयार की गई है, जो राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों पर शर्त लगाती है।

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक हितों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों को बदला जा सकता है। इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं

1. जो प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुए हैं या जिनके हितों की वृद्धि अवरुद्ध हो गयी हैं।
2. जो परिवर्तन के लिए विरोध करते हैं और संबंधित व्यवस्था बदलने के संघर्ष की राजनीति का मार्ग अपनाते हैं।
3. राजनीति भी उस तरीके का निर्धारण करती है, जिसमें ये दबाव काम करते हैं।

भारत ने शासन व्यवस्था की पद्धति के रूप में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का चयन किया है। अर्थात् प्रभुतासम्पन्न जनता द्वारा इसके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या सांसद का चुनाव होता है। वह सांसद बहुमत द्वारा चुना जाता है। राजनीतिक प्रणाली के संचालन के लिए दो या अधिक राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। ये राजनीतिक दल समाज से शक्ति प्राप्त करते हैं और नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। प्रारम्भ में भारत का शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया, जो उस समय प्रमुख राजनीतिक दल था। परन्तु बाद में इसका महत्त्व कम हो गया और अनेक शक्तिशाली दल उभरे और इस प्रकार बहुदलीय प्रणाली प्रचलित हो गई।

1975 तक कांग्रेस का सत्ता पर अधिकार बना रहा। वह संसद और राज्य विधानमंडलों में बहुमत की सरकार-बनाती रही, परन्तु बाद में जे.पी. आन्दोलन और 1974 में अखिल भारतीय रेलवे वर्कर्स यूनियन की हड़ताल से इसे धक्का लगा। 1977 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गाँधी पर निर्वाचन संबंधी अनाचर का आरोप लगाया गया और उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप देश में उनके विरुद्ध आन्दोलन होने लगे। 1975 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आंतरिक आपात स्थिति लागू करके सभी विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया और प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। इस सबके कारण कांग्रेस अपनी लोकप्रियता खो बैठी। आपात स्थिति के समाप्त होते ही 1977 में चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी सत्ता में आ गयी, परन्तु शीघ्र ही फूट के कारण अनेक दल फिर बन गये। 1980 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गयी। 1984 में श्रीमती गाँधी की हत्या कर दी गयी। उसके बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही, परन्तु इसमें लगातार गिरावट आने लगी। आगे चलकर यू.पी.ए. की सरकार बनी। राजनीति में प्रदेशीकरण के कारण गठबंधन की सरकारें सत्ता में आईं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) शक्तिशाली कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में उभरी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) का उदय हुआ। ये केन्द्र में गठबंधन सरकार के घटक दल बन गये।

इन निर्वाचन के परिवर्तनों से कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो समाधान के योग्य नहीं हैं। हित प्रेरित समाज में सामाजिक-आर्थिक समूह अपने हितों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं। वे सामूहिक निर्णय को शक्तितंत्र के सहयोग से प्रभावित और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसके कारण समूहों में प्रतिस्पर्धा भी होती है। परन्तु इससे समाज में फूट पड़ जाती है। असमान सामाजिक-आर्थिक हित के कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से होते हैं या वे स्वयं अपना राजनीतिक दल बना लेते हैं।

सामाजिक निर्माण में आर्थिक समृद्धि महत्त्वपूर्ण होती है, जिसे सफल जीवन निर्वाह के लिए महत्त्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसके

द्वारा जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली में क्रान्ति लाना और सभी को वस्तुएँ एवं सेवायें उपलब्ध करवाना जरूरी है। यह गरीबों और आवश्यकता वाले लोगों तक अवश्य पहुँचना चाहिए।

यदि ऐसा नहीं होता है, तो लोगों में क्षेत्रीय वर्गगत भावना उत्पन्न होती है, जिससे क्षेत्रीय और राज्य आधारित दलों का निर्माण होता है। ये आगे चलकर शक्ति प्राप्त करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए विवश करते हैं।

### आर्थिक परिवर्तन

आज स्थिर और सतत आधुनिकीकरण के लिए लोकतंत्र और आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। परन्तु आजादी के समय भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का खूब शोषण किया और वे बहुत सारा धन इंग्लैंड ले गये। यद्यपि ब्रिटिश शासकों ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया तो शुरू की, परन्तु उनका प्रयास पूर्ण नहीं हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वयं गतिशीलता आ सके। आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दो रणनीतियाँ गाँधीवादी और नेहरूवादी सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी।

1. **विकास का गाँधीवादी मॉडल** इस मॉडल को प्रेरणा श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा दी गयी, जो गाँधीजी के विचारों से प्रेरित थे। गाँधीजी ने मानव और विश्व के प्रति विचारधारा से प्रेरित होकर देशी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और जैविक संवृद्धि के संवर्धन की जरूरत पर जोर दिया था। गाँधीजी की विचारधारा से प्रेरित होकर इस योजना में अत्यधिक लोगों पर अनुशासन से दूर रहने के लिए कहा गया। इसके साथ राजनीतिक जीवन और उसके संबंधों में लोकतांत्रिक होने को कहा गया। उनके अनुसार इसमें राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए। श्री अग्रवाल ने सादा जीवन, विकेन्द्रीकरण और कुटीर उद्योगों की अर्थव्यवस्था पर बल दिया। वे गाँधी जी के इस कथन कि ग्राम को आर्थिक गतिविधियों की इकाई होना चाहिए, को स्वीकार करते हैं। वे आवश्यकताओं से न्यूनीकरण और पूर्ण विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हैं, क्योंकि गाँधी जी भी इससे सहमत थे। वस्तुतः इससे सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में औद्योगिकीकरण और राज्य की भूमिका की संभावना नहीं होती। पश्चिम के उपभोक्तावाद के भी गाँधीजी विरोधी थे और वे सहकारिता को महत्त्व देते थे।

2. **नेहरूवादी मॉडल** इस मॉडल को नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया था, जो गाँधीवादी मॉडल से भिन्न था। इसमें सामाजिक विकास के लिए राज्य को महत्त्व दिया गया। इसमें जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने व भौतिक वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया, परन्तु इसमें कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर बल नहीं दिया गया। इसमें केन्द्रीय रूप से नियोजित आर्थिक विकास का चयन किया गया, जिसमें पूँजीगत उत्पादनकारी उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। यह भी

माना गया कि विकास पहले जरूरी है और वितरण बाद में। नेहरू जी ने योजना निर्माण की अध्यक्षता स्वयं की और कहा कि बिना औद्योगिकीकरण के गरीबी, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो सकती। उनका भारतीय विकास और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के आधारिक विकास और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की तीन आधारिक आवश्यकताओं में विश्वास था

(i) भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योग;

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, और

(iii) विद्युत ऊर्जा।

इस योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वायत्त पूँजीवाद के आधार का निर्माण राज्य के द्वारा नियंत्रित किया गया। वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था (इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ-साथ काम करते हैं) को अपनाया गया।

**नेहरू काल के बाद के आर्थिक परिवर्तन** इस अवधि में भारत में राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, योजना विकास में उतार-चढ़ाव बढ़ गया और आर्थिक स्तर बहुत कम हो गया। यह निश्चित रूप से निजीकरण का संकेत था। 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1965 का भारत-पाक युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप के कारण आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गयी। प्रशासनिक कमजोरी और भ्रष्टाचार ने इसको और भी बढ़ावा दिया।

प्रशिक्षित और कुशल जनशक्तियुक्त आधार का निर्माण भारी उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधान के निर्माण पर बल देने के फलस्वरूप हुआ। इस प्रकार नियोजित आर्थिक विकास के नेहरू-महलनोबिस मॉडल ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इसमें निम्नलिखित शामिल थे

1. राजनीतिक लोकतंत्र की प्रणाली,
2. अर्थव्यवस्था की सरकारी योजना, विनियम और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण,
3. सार्वजनिक क्षेत्र और
4. निजी क्षेत्र को कर से राहत और प्रक्रिया सहायता प्रणाली।

**उद्देश्य** (i) सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण को रोकना तथा

(ii) आर्थिक कार्यों में निजी लाभ की असमानता का निरंतर उन्मूलन करना।

यह सब-कुछ समाजवाद पर आधारित था। इसमें लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्रीमती गाँधी की लोक-तुभावनी नीतियों एवं 'गरीबी हटाओ' के नारे से 1971 में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गयी।

आर्थिक विकास योजना के माध्यम से शुरू किया गया, परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गयीं। भुगतान संतुलन घाटे में चलता रहा, खाद्यान्नों की कमी होने लगी और कृषि उत्पादन में तेजी आने लगी। राजनीतिक उथल-पुथल से अशांति फैल गयी थी। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा।

ऋण के लिए विश्व बैंक की कठोर शर्तों को मानना पड़ा भारत को विवशता के चलते वाशिंगटन समझौता करना पड़ा, जिसमें नीतियों का पैकेज था, जिससे संवृद्धि की आशा व्यक्त की गयी।

कृषि में किसानों की कठिनाइयां बढ़ गयीं। उन्हें सिंचाई एवं ऋण प्राप्त करने की सुविधाओं का अभाव हो गया। महंगे कृषि निवेश, उर्वरक और संकर बीजों के प्रयोग से गेहूँ के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। परन्तु इस कार्य से केवल बड़े किसानों को लाभ हुआ। कृषि और उद्योग के मध्य संबंध बढ़ने लगे और बाजार के उतार-चढ़ाव की ओर ध्यान दिया गया। फिर वित्तीय संकट बढ़ता गया और रुपये का अवमूल्यन हुआ। आर्थिक संकट के रूप में मंदी, मुद्रास्फीति और निर्यात में पतन हुआ।

आर्थिक गिरावट के साथ राजनीतिक संस्थाएँ भी कमजोर हो गयीं। फलस्वरूप 1975 में आपात-स्थिति की घोषणा की गई। ऐसी स्थिति में समाजवाद के प्रति वचनबद्धता भी समाप्त हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था पूँजीवाद की ओर बढ़ने लगी। न्यायपूर्ण वितरण भी खत्म हो गया और बदले में राज्य-नियंत्रित औद्योगिक आधारभूत संरचना बनी, जिससे शासन में नौकरशाही की भ्रष्टता का बोलबाला हो गया।

योजना का तीसरा चरण 1984 में शुरू हुआ, जो आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण की ओर बढ़ने लगा। 1991 में पी.वी. नरसिम्हाराव के नेतृत्व में इसका विस्तार किया गया, जो अब भी चल रहा है। इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उच्चतर वृद्धि का निर्णय किया गया। इसमें निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया।

1980 के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। इसमें आर्थिक सुधार लाइसेंस राज की समाप्ति से शुरू किया गया। वस्तुतः इसके कारण रिश्वतखोरी बढ़ गयी और सरकारी अधिकारी मालामाल हो रहे थे और उनकी कार्यक्षमता कम होती जा रही थी। संचार और सॉफ्टवेयर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। उदारीकरण का उद्देश्य भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना था। इसमें बाजारतंत्र को मजबूत किया गया और निवेश पर जोर दिया गया। भारतीय बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए खुलेपन की नीति अपनाई गयी। निम्नलिखित तीन कार्यों से इसकी शुरुआत की गयी

- (i) नियंत्रण में ढील दी गयी या इसे समाप्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई गयी।
- (ii) वित्तीय नीति में संशोधन करके इसे व्यापार के अनुकूल बनाया गया।
- (iii) उच्च प्रौद्योगिकी से उद्योगों के आधुनिकीकरण का निर्णय किया गया।

उदारीकरण की नीति उत्साह के साथ शुरू की गयी, परन्तु 1991 में पर्याप्त भुगतान संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में सरकार को घरेलू निवेश और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार लाने की आवश्यकता अनुभव हुई। फलस्वरूप सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में मात्रात्मक नियन्त्रण को समाप्त कर दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(FDI) बढ़ाने के प्रयास को भी बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। आलोचक विद्वानों के अनुसार उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ गयी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और नौकरियों में छंटनी की गयी। वित्तीय घाटे में वृद्धि के साथ-साथ कृषि की उपेक्षा हुई। अभिजात वर्गों की आय तो बढ़ गयी, परन्तु विशाल जन-समुदाय के जीवन-स्तर में गिरावट आ गयी।

उदारीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक दर में उच्चतर वृद्धि हुई, परन्तु इसके कारण उनके समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, खाद्यान्नों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी आयी है, उद्योगों की क्षमता और उपयोगिता में गिरावट और बेरोजगारी के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि और औद्योगिक वृद्धि रुक गयी है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आयी है।

हरित क्रान्ति से अवश्य ही कुछ लाभ हुआ है। इससे भारत खाद्यान्नों की दृष्टि से तो आत्मनिर्भर हो गया, परन्तु इससे उत्पादन लागत बढ़ गयी, जिसका प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ा है। बड़े किसानों को हरित क्रान्ति से लाभ हुआ है। ग्रामीण और शहरी वर्गों के मध्य अन्तर बढ़ा है। सुधारों की असफलता से गरीबी बढ़ी है। इससे अन्य समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन, उत्पादकता में धीमी वृद्धि, ग्रामीणों का शहरों में पलायन, पोषाहार में गिरावट और शिशु मृत्यु दर में प्रोत्साहन आदि। भारतीय कृषि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मध्यवर्ती किसान राजनीति में घुस गये हैं। भूमिहीन कृषकों और सीमांत कृषकों की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधार नहीं किया जा सका।

### लोकतंत्र और सामाजिक क्रान्ति

भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आरम्भ हुआ। सामाजिक क्रान्ति अर्थात् समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए पिछले छः दशकों में संविधान में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के उपबन्धों को ओर ध्यान दिया गया है। इन उपबन्धों में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकार, दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के कल्याण व संरक्षण का उल्लेख है।

मूल अधिकारों का संबंध स्वयं के विकास से है। इसमें व्यक्ति के स्थान को समाज और उसकी परम्पराओं और अन्य सार्वजनिक संघों के अत्याचारों से बचाना है। सामूहिक अधिकारों का प्रावधान जातिभेद तथा असमानता उन्मूलन के कारण किया गया है। कुछ राजनीतिक-आर्थिक समूह जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से संबंधित मांगों को उठाया जाता है। वस्तुतः उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में संविधान विशेषकर उसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं।